कार्यालय वनमंडलाधिकारी, दक्षिण कोंडागांव वनमंडल, कोंडागांव
जिला–कोंडागांव (छ.ग.)

Tel / Fax: 07786-242303 E-mail: southfedkon@yahoo.co.in

क्रमांक/मा.चि./5223 कोंडागांव, दिनांक :26/06/2018

प्रति,

जिला शिक्षा अधिकारी
जिला कोंडागांव, छत्तीसगढ़

विषयः– ***Diversion of Forest land non-Forest Purpose under Forest Conservation Act. 1980 Proposed for Jawahar Navodaya Vidhalaya Area 5.00 ha. regarding.***
– आनलाईन पंजीयन क्रमांक–FP/CG/SCH/32242/2018.

संदर्भः– अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध/व.सं.अ.) अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, नया रायपुर छत्तीसगढ़, रायपुर का पत्र क्रमांक/भू–प्रबंध/विविध/एल. एम.–115–734/1784, दिनांक 11/06/2018 एवं मख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त, कांकेर का पत्र क्रमांक/मा.चि./2018/4392, दिनांक 18/06/2018.,

संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें, जो आपकों भी पृष्ठांकित है। जिला कोंडागांव के दक्षिण कोंडागांव वनमंडल अंतर्गत दहीकोंगा परिक्षेत्र के संरक्षित वन भूमि कक्ष क्रमांक पी–794 में से 5.00 हेक्टेयर वन भूमि में जवाहर नवोदय विद्यालय भवन निर्माण कार्य हेतु जिला शिक्षा अधिकारी, जिला कोंडागांव छत्तीसगढ़ को वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत् गैर वानिकी कार्य के उपयोग पर देने हेतु वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव के लिये अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध/व.सं.अ.) छत्तीसगढ़, रायपुर द्वारा आनलाईन पंजीयन क्रमांक FP/CG/SCH/32242/2018 आबंटित किया गया है। **आनलाईन फार्म "ए" की हस्ताक्षरित प्रति मय संलग्न मूल अभिलेख, डिमाण्ड ड्राफ्ट शीघ्र वनमंडल कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।**

निर्देशानुसार प्रकरण में आवेदित वन भूमि के Geo-Co-ordinate के आधार पर व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि एवं उसके आसपास के न्यूनतम 10 कि.मी. तक का सत्यापित "वनस्पति मानचित्र" वन प्रबंधन सूचना प्रणाली वनमंडल, रायपुर से प्राप्त कर वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत् वन अधिकार वितरित संबंधी अ.प्र.मु.व.सं.अ. (भू–प्रबंध/व.सं.अ.) छ.ग. रायपुर के पत्र क्रमांक/1728, दिनांक 14/07/2016 द्वारा जारी निर्देशानुसार कार्य कर संबंधित पंचायत में नई ग्राम सभा का आयोजन करवाकर प्रस्ताव पर 50 प्रतिशत सदस्यों की सहमति आवश्यक हो साथ में ग्राम सभा का कार्यवाही विवरण एवं उपखण्ड स्तरीय समिति के सत्यापन के कार्यवाही विवरण भी लगेगा, एवं जिला कलेक्टर द्वारा जारी प्रारूप "स" में प्राप्त कर प्रस्ताव में सम्मिलित कर वैकल्पिक वृक्षारापेण हेतु चयनित क्षेत्र एवं आवेदित क्षेत्र का डी.जी.पी.एस. सर्वे करवाकर Shape File के साथ 44 बिन्दुओं की सभी कॉलम की पूर्ति कर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध/व.सं.अ.) छत्तीसगढ़, रायपुर का पत्र क्रमांक/भू–प्रबंध/विविध/115–30/1065, दिनांक 05/04/2018 द्वारा जारी निर्देश का पालन कर पूर्ण प्रस्ताव 07–07 प्रतियों में मय डी.जी.पी.एस. सर्वे Shape File सहित इस कार्यालय में जमा करने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण पर परीक्षण उपरांत हस्ताक्षर कर भारत सरकार के वेबसाईट पर अपलोड कर करते हुये वरिष्ट कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जा सकें। सुलभ संदर्भ हेतु संदर्भित पत्रों की छायाप्रति अवलोकनार्थ संलगन है।

<u>संलग्न</u> :–उपरोक्तानुसार।

वर्तमान में किसी भी प्रकार की वन भूमि में कार्य प्रारंभ करने की अनुमति नहीं है।

वनमंडलाधिकारी
दक्षिण कोंडागांव वनमंडल
कोंडागांव

पृ.क्रमांक/मा.चि./5224 कोंडागांव, दिनांक :26/06/2018

प्रतिलिपि :

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध/व.सं.अ.) अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, केपिटल कॉम्पलेक्स, नया रायपुर छत्तीसगढ़ की ओर संदर्भित पत्र के परिपालन में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर संप्रेषित।
2. मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त, कांकेर की ओर संदर्भित पत्र के परिपालन में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर संप्रेषित।
3. कलेक्टर, जिला कोंडागांव (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित है।

वनमंडलाधिकारी
दक्षिण कोंडागांव वनमंडल
कोंडागांव